तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
6/12/19	वकुलाय उभय वास्ते बहस अपील हेतु मिसिल दिनांक 10-1-20 को पेश हो।
10/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय रूप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 10/2/20 को पेश हो।
10/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षगण हाजिर। हस्तगत प्रार्थना पत्र अपील पर बहस वकील उभय पक्षगण सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने कथन किया कि मद सं0 1 में वर्णित भूमियां प्रार्थिनी के पिता बालूराम के अन्तर्गत की स्वअर्जित भूमियां है। मृतक बालूराम ने उक्त भूमियों को अपने जीवन काल में उपार्जित किया। मृतक बालूराम के कोई पुत्र सन्तान नही थी केवल मात्र दो पुत्रियां क्रमश: छिम्मू देवी व प्रार्थिनी अपीलार्थी शान्ती देवी उर्फ लक्ष्मी देवी थी। छिम्मू देवी का स्वर्गवास हो चुका है उनके उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3 है। बालूराम ने अपने जीवन काल में किसी को गोद नही लिया था। छिम्मू देवी के वारिसान/रेस्पोंडेन्ट सं0 1 ता 3 ने तात्कालीन सरपंच नागमल से

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहकाम जो हुक्म की तालीम में जारी हुए
	सांठ-गांठ करके अपीलान्ट के पिता के देहान्त के पश्चात ही दिनांक 23.7.1978 को नामान्तरण सं० 294 अवैध रूप से तस्दीक करवा लिया जो शून्य, निष्प्रभावी है तथा विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है अतः अपील विरुद्ध नामान्तरण सं० 294 ग्राम पंचायत सुगमपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० स्वीकार कर नामान्तरण सं० 294 दिनांक 23-7-1978 को निरस्त फरमाया जावे।	
	जवाब में वकील रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थना/अपील हस्तगत में वर्णित नामान्तकरण जो तस्दीक किये करीब 43 वर्ष बीत चुके हैं। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने बाद व अपील दायर के मध्य काफी समय बीत चुका है इस समय में अपीलार्थी ने कोई हक उज्र पेश नहीं किया अपील मियाद बाहर है। अतः स्वीकार योग्य नहीं है। खारिज फरमाया जावे।	
	हमने बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। नामान्तकरण सं० 294 ग्राम पंचायत	
	[signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील खण्डेला जिला सीकर करीबन 43 वर्ष पूर्व मरा गया था। अपील मियाद बाहर है अतः स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(रणजीत सिंह RAS) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner